प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जुगल किशोर उर्फ पप्पू पुत्र श्री रामभरोसे लाल, निवासी जनपद-बदायूँ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक दिनांक-16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जुगल किशोर उर्फ पप्पू पुत्र श्री रामभरोसे लाल, ग्राम-पापड़, थाना-दातागंज, जनपद-बदायूँ का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 23-07-1997 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व तमंचा से गोली मारकर 01 व्यक्ति (06 माह बच्चे) की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-401/1997, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 324/34, 427/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट, बदायूँ के दण्डादेश दिनांक 06.10.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17.09.2018 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.05.2024 तक अपरिहार 09 वर्ष 08 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 05 माह 24 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- भारत के संविधान के अनुछेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति प्राप्त किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूँ द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा तीन अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रंजिशन जितेन्द कुमार व टीटू की हत्या करने, दोनो पक्षों के बीच तनाव होने, पुन: अपराध कारित करने, पैरोल की अवधि के पश्चात मा0 न्यायालय के समक्ष हाजिर न होकर फरार होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी ही समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि सिद्धदोष बन्दी जुगल किशोर उर्फ पप्पू पुत्र श्री रामभरोसे लाल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 01.05.2024 तक अपरिहार 09 वर्ष, 08 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 05 माह 24 दिन की भोगी गयी सजा कारित अपराध की प्रकृति (01 व्यक्ति व 06 माह बच्चे की हत्या) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओ पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की जाती है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जुगल किशोर उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-50855) पुत्र श्री रामभरोसे लाल, निवासी जनपद-बदायूं की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1415/2025/1855(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।